बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रय की जाने वाली औषधि एवं चिकित्सीय उपकरणों/उपस्करों, जो औषधि एवं अंगरांग अधिनियम, 1940 एवं तत्संबधी नियमावली से आच्छादित है; के क्रय में बिहार राज्य में निबंधित/अनुज्ञप्तिधारी औषधि निर्माण इकाईयों को प्रोत्साहन देने हेतु नीति का सूत्रण।

राज्य के अस्पतालों एवं अन्य चिकित्सीय संस्थानों के लिए औषधि एवं अन्य चिकित्सीय सामग्रियों की आपूर्ति बिहार वित्त नियमावली एवं अन्य विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरुप प्राप्त की जाती है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम04-35/2002-2473 दिनांक 11.04.2007 के द्वारा बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम 129 के अंतर्गत दवा एवं स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों तथा सेवाओं के क्रय/ आपूर्ति हेतु दर निर्धारण करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को "राज्य क्रय संगठन" नामित किया गया है। राज्य क्रय संगठन के रुप में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा दर का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर खुली निविदा के माध्यम से किया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या १२/प०.08-14/2009-466 (12), दिनांक 19.05.2010 के द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम का गठन किया गया है। यह निगम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निबंधित है। इस निगम को भी बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम 129 के अंतर्गत दवा, चिकित्सीय उपकरणों, सेवाएँ एवं निर्माण कार्यों के निमित्त "राज्य क्रय संगठन" नामित किया गया है।

2. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर खुली निविदा के माध्यम से क्रय की जा रही दवाओं एवं अन्य चिकित्सीय उपकरणों के दर निर्धारण की प्रक्रिया में स्थानीय औषधि निर्माण इकाईयों के साथ भेदभाव होने के बिन्दु पर बिहार ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3851/09 दायर किया था। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्यायादेश दिनांक 25.11.2009 द्वारा निदेश दिया कि याचिकाकर्त्ता मुख्य सचिव के समक्ष विस्तृत दावा दायर करेंगे तथा मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं उद्योग विभाग के प्रधान सचिवों की सदस्यता वाली समिति का गठन कर इस प्रकार के क्रय में स्थानीय दवा निर्माताओं को प्रोत्साहन देने हेतु नीति का सूत्रण करेंगे।

3. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में मुख्य सचिव द्वारा प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जिसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ सदस्य के रुप में शामिल किए गए। उक्त समिति द्वारा स्थानीय दवा निर्माताओं के दावों पर विचार करते हुए कतिपय अनुशंसाएँ दी गयी हैं। तद्नुसार अनुशंसाओं पर सम्यक विचार कर राज्य सरकार स्थानीय औषधि निर्माण इकाईयों को, औषधि एवं चिकित्सीय उपकरणों/उपस्करों, जो औषधि एवं अंगरांग अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली से आच्छादित है, क्रय में प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार नीति का सूत्रण करती है:

(1) i. राज्य के अंदर की निर्माण इकाईयों के लिए निविदा में भाग लेने के लिए टर्नओवर की शर्त को शिथिल किया जाता है। स्थानीय निर्माण इकाईयों को टर्नओवर की जाँच करने हेतु audited annual report निविदा के साथ संलग्न करना होगा, परन्तु टर्नओवर के आधार पर उनकी निविदा को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

ii. राज्य के अंदर की निर्माण इकाईयों के लिए तीन वर्षों की पुरानी इकाई होने की बाध्यता नहीं होगी और न ही न्यूनतम तीन वर्ष पुरानी निर्माण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी। विधिवत रुप से निर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई भी स्थानीय निर्माण इकाई निविदा में भाग ले सकती है।

iii. राज्य के अंदर की निर्माण इकाईयों को न्यूनतम तीन वर्षों का market standing certificate देने की बाध्यता नहीं होगी। परंतु निर्माण इकाई को औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा निर्गत वर्तमान वर्ष का market standing certificate देना होगा।

iv. राज्य के अंदर की निर्माण इकाईयों को दो वर्ष की वैधता का GMP Certificate देने की बाध्यता नहीं होगी। परन्तु वर्तमान वर्ष का वैध GMP Certificate निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

v. बिहार सरकार, उद्योग विभाग के पत्रांक 2458, दिनांक 14.03.2003 के द्वारा अधिसूचित Store purchase Preference Policy 2002 की कंडिका 2.2 के प्रावधान के आलोक में राज्य के अंदर अवस्थित निर्माण इकाईयों को निविदा में भाग लेने हेतु निविदा अर्हता में निर्धारित अग्रधन की राशि (Earnest Money) जमा नहीं करना होगा। परंतु L-1 के आधार पर दर अनुमोदित/दर अनुबंधित होने के उपरांत मापदंडो के तहत निर्धारित बैंक गारण्टी की 20 (बीस) प्रतिशत राशि के समतुल्य बैंक गारण्टी जमा करना अनिवार्य होगा।

vi. उपर्युक्त उपकंडिका (i) से (v) में वर्णित सुविधाओं के अतिरिक्त स्थानीय निर्माण इकाईयों को उद्योग विभाग के पत्रांक 2458, दिनांक 14.03.2003 के द्वारा अधिसूचित Store Purchase Preference Policy 2002 में प्रदत्त सभी प्रकार की सुविधाएँ देय होंगी।

(2) राज्य के अंदर अवस्थित निर्माण इकाईयों की उत्पादन क्षमता, निर्मित औषधियों के गुणवत्ता संधारण की प्रक्रिया, औषधि एवं अंगरांग अधिनियम/ नियमावली के तहत निर्माण की प्रक्रिया, उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग के प्रचलित नियमों एवं प्रदूषण आदि के अनुपालन की जाँच करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन औषधि नियंत्रण प्रशासन एवं उद्योग विभाग के पदाधिकारियों का संयुक्त जाँच दल गठित किया जाएगा। यह जाँच दल यह भी परीक्षण करेगा कि स्थानीय निर्माण इकाई के विरूद्ध दवा निर्माण में अनियमितता संबंधी कोई आरोप प्रमाणित हुआ है अथवा नहीं। जाँच दल के मंतव्य पर विचार कर निविदा में उपरोक्त सभी प्रकार की सुविधाओं/प्राथमिकताओं के लिए वैसी ही स्थानीय निर्माण ईकाईयों को सूचीबद्ध/मान्य किया जाएगा जो सभी अर्हताओं की पूर्ति करते हों।

(3) बिहार में अवस्थित निर्माण इकाईयों से आपूर्ति प्राप्त की जाने वाली औषधियों एवं चिकित्सीय सामग्रियों की विशिष्टताओं एवं उनके मानक स्तर की गुणवत्ता की शर्त्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा कोई छूट नहीं दी जाएगी। औषधियों एवं चिकित्सीय सामग्रियों की गुणवत्ता औषधि एवं अंगरांग अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 के अंतर्गत होना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

"यह संकल्प, आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा तथा निर्गत तिथि से पूर्व प्रकाशित निविदायें इससे आच्छादित नहीं होगी"।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

9/9/2013

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक संख्या 675(1) 11/औ०-05/2013 पटना, दिनांक 9/9/2013

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाये।

9/9/2013

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक संख्या ....675(1).... पटना, दिनांक.....9/9/2013

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक संख्या ....675(1).... पटना, दिनांक.....9/9/2013

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या ....675(1).... पटना, दिनांक.....9/9/2013

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या ....675(1).... पटना, दिनांक.....9/9/2013

प्रतिलिपि- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या ....675(1).... पटना, दिनांक.....9/9/2013

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक संख्या ....675(1).... पटना, दिनांक.....9/9/2013

प्रतिलिपि- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव